

FORM NO -III

फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कैपरी ग्लोबल कैपिटल लि. शाखा कार्यालय- सैनी कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल पंचौती सर्किल, बीकानेर जरिए प्राधिकृत अधिकारी शिवांग पी विशिष्ठ		1. दीनदयाल पुत्र तोलाराम तापडिया निवासी रामपुरा बास, श्रीबालाजी नागौर तथा दीनदयाल पुत्र तोलाराम तापडिया निवासी पट्टा मिसल नम्बर 29 ग्राम श्रीबालाजी नागौर 2. श्रीमति संगीता देवी 3. श्रीमति धन्नी देवी निवासीगण रामपुरा बास, श्रीबालाजी नागौर

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 56 सन् 2022

G.C.M.S. portal No-2022/72

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
17.02.22	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 23.02.2022 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	
23/2/22	वकुलाय ने अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O लाइव प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 3-3-22 को पेश हो।	
3-3-22	वकुलाय ने D.J. Court की प्रांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O लाइव प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16-3-22 को पेश हो।	
16-3-22	वकुलाय ने D.J. Court की प्रांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O लाइव प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23-3-22 को पेश हो।	
23-3-22	वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील प्रार्थी ने हस्तगत आवेदन को Not press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र को वकील प्रार्थी द्वारा Not press करने के आदेश पर स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैलव शुभार होकर नम्बर से कम हो। (पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट नागौर	